41

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर(म0प्र0)

1.सुंदर तनय देवी ग्वाल
2.परम उर्फ परमानंद तनय देवीदयाल ग्वाल
दोनों निवासी कोरेगांव रजाखेडी,
तह0व जिला-सागर (म.प्र.) .....आवेदकगण

//बनाम//

1.म0प्र0शासन
द्वारा-कलेक्टर सागर(म0प्र0)
2.अशोक कुमार तनय स्व. रामनाथ तिवारी
मुहत्तमकार मंदिर श्री देव जानकी रमण जी बांके
मौजा पामाखेडी तह0व जिला सागर .....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के रिट पिटीशन नंबर 7038/2016 में पारित आदेश दिनाँक 06.06.2016 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0487/बी-121वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनाँक 19.10.2015 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते हैः-

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, आवेदक क्र01की माँ परमाबाई ने एवं आवेदक क्र02 ने ग्राम पामाखेडी तह0 सागर की भूमि पुराना ख0नं028,196 कुल रकवा 3.310हे0 भूमि में से दोनों ने आधी-आधी भूमि अर्थात् 1.655 हे0एवं 1.655हे0भूमि श्री देव जानकी रमण मंदिर मुहत्तमकार रामनाथ वल्द सुखलाल ब्राहम्ण से रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनाँक 11.1.1980 के माध्यम से पृथक-पृथक दो बैनामों से क्रय की थी चूंकि उक्त मंदिर निजि मंदिर था जिस कारण से आवेदकगणों ने नामांतरण हेतु आवेदन ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत किया एवं ग्राम न्यायालय ने दिनाँक 15.04.2005 को विधिवत् उक्त भूमि का नामांतरण आवेदकगणों के पक्ष में किये जाने का आदेश पारित कर पटवारी को अमल किये जाने हेतु निर्देशित किया था, किंतु उक्त आदेश का क्रियान्वयन न होने से आवेदकगणों को जानकारी होने पर

Page-2Cont----

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग./2009/I/16 ..... जिला ..... सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-16	1— आवेदक के अधिवक्ता श्री महेन्द्र अहिरवार उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष अधिवक्ताओं के तर्क सुने मैंने प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के प्र0 क्र0487/बी—121वर्ष 2014—15 आदेश दिनॉक 19.10.2015 के विरूद्ध मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर के रिट पिटीशन नंबर 7038/2016 में पारित आदेश दिनॉक 06.06.2016 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में इस न्यायालय में म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदकगण की ओर से तर्क में कहा गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी श्री देव जानकी रमण मंदिर मुहत्तमकार रामनाथ वल्द सुखलाल ब्राहम्ण जो कि मंदिर के मुहत्तमकार थे उन्होने अपने निजि मंदिर की भूमि को दो पृथक—पृथक बैनामों के जरीये दिनॉक 11.01.1980 में आवेदकगणों को विक्रय की थी। जिसका ग्राम न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2005 को नामांतरण किये जाने के उपरांत राजस्व अभिलेख दुरूस्त न किये जाने के कारण विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेख में होने पर फौती नामांतरण अनावेदक क्र02 द्वारा दर्ज करा लिया जिसे पृथक किये जाने एवं नामांतरण किये जाने हेतु तहसीलदार सागर के समक्ष कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने पर उन्होंने खसरा में प्रबंधक कलेक्टर का नाम उल्लिखित होने से प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया, जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त की गयी तथा द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर द्वारा पुष्टि किये जाने पर निगरानी सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें मौखिक निर्देश देते हुये निजि मंदिर होने से प्रबंधक कलेक्टर हटाये जाने बावत् कार्यवाही कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की हिदायत देते हुये प्रकरण अग्राह किया गया। आवेदक द्वारा न्यायालय कलेक्टर सागर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर प्रबंधक को विलोपित कर नामांतरण की कार्यवाही प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनॉक 25.02.2015 के अनुसार यह मान्य किये जाने के उपरांत कि निजि भूमि में प्रबंधक कलेक्टर दर्ज किया जाना न्याय संगत न होने के उपरांत भी प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया गया।जिसकी अपील अपर आयुक्त सागर द्वारा भू—राजस्व	

निग0-2009. I/16 (सागर)

XXXI

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
	संहिता की धारा 44 के तहत प्रचलन योग्य पाते हुये कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश को वैद्य मान्य किया इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी मान्नीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रस्तुत की गयी है। 3— उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि विक्रेता द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र दिनॉक 11.01.1980 में स्यंम विक्रय की जा रही भूमि निजि भूमि होना एवं सर्वाजनिक ट्रस्ट का न होने का उल्लेख किया है तथा विक्रय की जा रही भूमि के बदले अन्य भूमि क्रय किये जाने का भी उल्लेख किया है। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन में भी म0प्र0 शासन के ज्ञापन का उल्लेख करते हुये निजि मंदिरों में प्रबंधक कलेक्टर नहीं जोडा जा सकता प्रतिवेदित किया है जो इस प्रकरण में प्रभावशील है इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत सदाशिव बनाम कमिश्नर उज्जैन आर0एन02012पृष्ठ197 उच्च न्यायालय में मान्य किया गया है कि निजि मंदिरों में प्रबंधक कलेक्टर मान्य नहीं होगा। इसी आधार पर आवेदक द्वारा इस प्रकरण में निजि मंदिर की भूमि क्रय किये जाने से विधिवत् निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी तर्क है कि अनावेदक क्र02 आवश्यक पक्षकार नहीं है किंतु अपर आयुक्त सागर द्वारा बिना किसी विधिक आधार के उसे आवश्यक पक्षकार मानकर आदेश पारित किया है जबकि छोटेलाल विरूद्ध हरीराम तथा अन्य आर0एन01981 पृ0271 में मान्य किया गया है कि विकेता द्वारा भूमि के विक्रय उपरांत पक्षकार बनाया जाना न्यायसंगत नहीं है। उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है। 4— अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया है कि विवादित भूमि में शासन का हित है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रबंधक कलेक्टर दर्ज मान्य करते हुये प्रकरण निराकृत किया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि न होने से निगरानी इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का अनुरोध किया है। 5— मैंने आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजो तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। प्रस्तुत विक्रय पत्र के आधार पर आवेदकगणों ने ग्राम पामाखेडी तह0सागर की भूमि पुराना ख0नं0 28,196 कुल रकवा 3.310हे0 मंदिर श्रीदेव जानकीरमण मुहत्तमकार रामनाथ बल्द सुखलाल से दिनॉक 11.01.1980 को दो पृथक—पृथक बैनामों के जरीये क्रय की जाना पायी जाती है और दिनॉक 15.04.2005 को ग्राम न्यायालय से नामांतरण भी कराया था किंतु राजस्व अभिलेख में अमल न किये जाने पर आवेदक के द्वारा नामांतरण की कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने पर विवादित भूमि का नामांतरण न कर कलेक्टर प्रबंधक जोड़े जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है, जबकि वर्ष 95—96से 98—99 के खसरा पांचसाला में प्रबंधक कलेक्टर लेख नहीं पाया जाता है। इसी	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग./2009/I/16 ..... जिला ..... सागर .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकार अशोक कुमार तिवारी तनय रामनाथ तिवारी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र दिनॉक 11.11.2011 में उक्त मंदिर की प्रबंधन समिति प्राईवेट होना लेख किया है जिसके परिशीलन उपरांत उक्त भूमि रजिस्टर्ड ट्रस्ट न होकर निजि भूमि होना और उसका प्रबंधन विकेता के द्वारा किया जाना पाया जाता है जिसका उल्लेख निष्पादित विक्रय पत्र दिनॉक 11.01.1980 में भी किया गया है। इस प्रकरण में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण उपरांत राजस्व अभिलेख में केता का नाम उल्लिखित न होने से विवाद की स्थिति निर्मित हुयी है, जबकि विक्रय की गयी भूमि निजि मंदिर होने से भूमि स्वामी द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र के आधार आवेदकगण नामांतरण के अधिकारी है, तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से यह तथ्य मान्य किये जाने योग्य है कि विकेता द्वारा भूमि विक्रय किये जाने के उपरांत वह आवश्यक हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता इस कारण अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में स्थिर रखे जाना योग्य नहीं पाता हूँ। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनॉक 19.10.2015 तथा कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनॉक 20.04.2015 निरस्त करते हुये तहसीलदार सागर को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्व अभिलेख में प्रबंधक कलेक्टर का नाम पृथक करते हुये निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर आवेदकगणों का नाम दर्ज करें। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	